NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 09-01-2025

विषय सूची

संयुक्त राज्य अमेरिका में ध्रुवीय भंवर (Polar Vortex) और शीतकालीन तूफान (Winter Storm)

हिमालय क्षेत्र में भूकंप

सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना

ट्रांसजेंडर समुदाय में आरक्षण पर परिचर्चा

दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम 1954 की धारा 33 और 81

भारत और तालिबान के मध्य पहली शीर्ष स्तरीय वार्ता

बाँध सुरक्षा अधिनियम 2021

संक्षिप्त समाचार

सोपस्टोन खनन (Soapstone Mining)

मराठी भाषा को आधिकारिक तौर पर शास्त्रीय दर्जा दिया गया

भारत की पुनर्गणना की गई तटरेखा 53 वर्षों में 48% बढ़ी

भाषिणी परियोजना

रोजगारों का भविष्य रिपोर्ट 2025 (Future of Jobs Report 2025)

एण्ड्रोजन सिग्नलिंग (Androgen Signalling)

मियावाकी तकनीक (Miyawaki Technique)

फ्लेमिंगो महोत्सव 2025

संयुक्त राज्य अमेरिका में ध्रुवीय भंवर (Polar Vortex) और शीतकालीन तूफान (Winter Storm)

संदर्भ

- हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक दशक से अधिक समय में सबसे भयंकर शीतकालीन तूफान का अनुभव किया है, जिसका मुख्य कारण ध्रुवीय भंवर है।

ध्रुवीय भंवर का परिचय

- यह निम्न दाब और शीत वायु का एक वृहत् क्षेत्र है जो पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों के चारों ओर घूर्णन करता है।
- यह दो रूपों में विद्यमान है:
  - **क्षोभमंडलीय ध्रुवीय भंवर,** जो वायुमंडल की सबसे निचली परत (लगभग 10-15 किमी. तक) में विद्यमान होता है, और
  - **समतापमंडलीय ध्रुवीय भंवर,** जो अधिक ऊँचाई पर (लगभग 15-50 किमी.) होता है।
- क्षोभमंडलीय ध्रुवीय भंवर अधिकांश मौसमी घटनाओं के लिए उत्तदायी है, जबकि समतापमंडलीय ध्रुवीय भंवर शरद ऋतु के दौरान सबसे अधिक शक्तिशाली होता है और ग्रीष्मकाल में लुप्त हो जाता है।

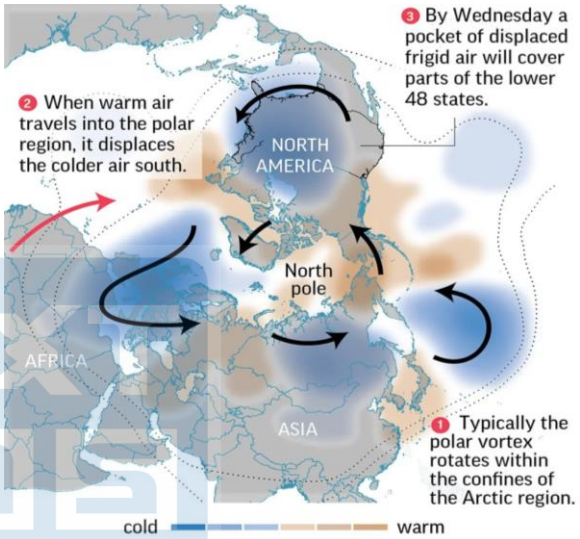

ध्रुवीय भंवर अत्यधिक शीत का कारण कैसे बनता है?

- जब ध्रुवीय भंवर मजबूत और स्थिर होता है, तो यह जेट स्ट्रीम (ऊपरी वायुमंडल में तीव्र पवन की एक संकीर्ण पट्टी) को पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ पर भ्रमण कराता रहता है।
  - यह उत्तर में शीत वायु और दक्षिण में उष्ण वायु के मध्य पृथक्करण बनाए रखने में सहायता करता है।
- हालाँकि, जब ध्रुवीय भंवर कमजोर हो जाता है, तो इससे जेट स्ट्रीम लहरदार और घुमावदार हो सकती है।
  - इससे शीत आर्कटिक वायु विखंडित होकर दक्षिण की ओर बढ़ जाती है, जिससे फ्लोरिडा जैसे दक्षिणी क्षेत्रों में भी तापमान अत्यधिक शीतल हो जाता है।

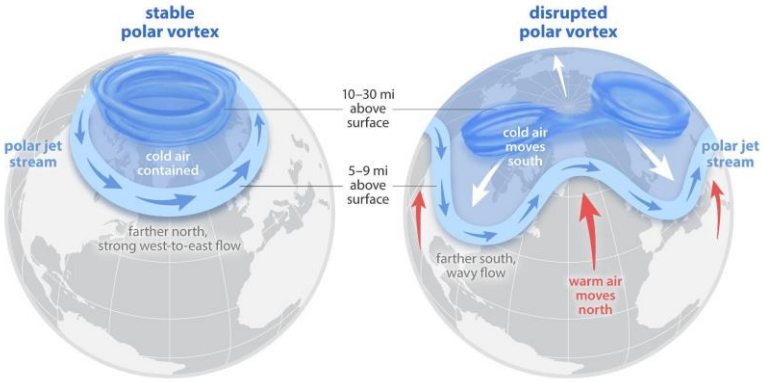

ध्रुवीय भंवर के प्रभाव

- **ठंडी वायु का प्रकोप:** जब ध्रुवीय भंवर विस्तृत या स्थानांतरित होता है, तो यह आर्कटिक वायु को दक्षिण की ओर संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और एशिया जैसे क्षेत्रों में प्रवाहित कर सकता है। इससे प्रायः उत्तरी गोलार्ध में चरम शीतलता की स्थिति विस्तृत हो जाती है।
- **ओजोन क्षरण और ध्रुवीय भंवर:** ध्रुवीय भंवर शीत वायु को ट्रैप कर लेता है, जिससे अंटार्कटिका पर ओजोन क्षरण होता है। निम्न तापमान के कारण हानिकारक क्लोरीन यौगिक एकत्रित हो जाते हैं, जिससे ओजोन परत विघटित हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का निर्माण हो रहा है।
- **विमानन पर प्रभाव:** यह भूमि के तापमान को अत्यधिक निम्न कर सकता है और शीत ऋतु में वर्षा में वृद्धि कर विमान परिचालन को प्रभावित कर सकता है।
- **भारत पर प्रभाव:** कमजोर ध्रुवीय भंवर भारत में पश्चिमी विक्षोभ की वृद्धि करता है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण पश्चिमी हिमालय में भारी बर्फबारी होती है।

Source: IE

हिमालय क्षेत्र में भूकंप

संदर्भ

- हाल ही में नेपाल के निकट पश्चिमी चीन में 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया।

परिचय

- भूकंप का केन्द्र तिब्बत के शिगात्से क्षेत्र के टिंगरी काउंटी में पाया गया, जो एक महत्त्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यह माउंट एवरेस्ट के लिए 'प्रवेश द्वार' के रूप में कार्य करता है।
- भूकंप का मुख्य आघात संभवतः ल्हासा क्षेत्र में हुआ था, जो एक विशिष्ट भूपर्पटी का खंड है जो प्रमुख जलविद्युत परियोजनाओं में शामिल है, जिसमें चीन द्वारा निर्माणाधीन विश्व का सबसे बड़ा जलविद्युत बाँध भी सम्मिलित है।

भूकंप क्या है?

- भूकंप पृथ्वी की सतह के नीचे होने वाली विक्षोभ के कारण उत्पन्न धरातल का कंपन है, जब दो ब्लॉक एक भ्रंश के साथ एक दूसरे के निकट घर्षण करते हैं।
- इस अचानक विक्षोभ के कारण संग्रहित प्रत्यास्थ तनाव ऊर्जा भूकंपीय तरंगों के रूप में मुक्त हो जाती है, जिससे भूमि कम्पन करने लगती है।
- **भूकंप केंद्र और हाइपोसेंटर:** पृथ्वी की सतह के नीचे वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है उसे हाइपोसेंटर कहा जाता है, और पृथ्वी की सतह पर इसके ठीक ऊपर स्थित स्थान को एपिसेंटर कहा जाता है।
- भूकंप की तीव्रता को रिक्टर पैमाने पर तथा दृश्यमान क्षति के आधार पर तीव्रता को मरकेली पैमाने पर मापा जाता है।

फॉरशॉक(Foreshocks) और आफ्टरशॉक(Aftershocks)

- **फॉरशॉक:** ये कम प्रभावशील भूकंप होते हैं जो बड़े भूकंप के समान स्थान पर घटित होते हैं।
  - अत्यधिक प्रभावशाली, मुख्य भूकंप को मेनशॉक कहा जाता है।
- **आफ्टरशॉक:** ये कम प्रभावशील भूकंप होते हैं जो मुख्य भूकंप के पश्चात् उसी स्थान पर घटित होते हैं।

भूकंपों का मापन

- भूकंप की घटनाओं को कंपन की तीव्रता या परिमाण के अनुसार मापा जाता है।
- **रिक्टर स्केल:** भूकंपीय तरंग आयाम के आधार पर छोटे से मध्यम भूकंपों को मापता है।
- मरकली के नाम पर रखा गया तीव्रता पैमाना, घटना से होने वाली दृश्यमान क्षति पर विचार करता है।

भूकंपीय तरंगे

- भूकंपीय तरंगें भूकंप से उत्पन्न ऊर्जा तरंगें होती हैं जो पृथ्वी की परतों से होकर गुजरती हैं, जिससे भूमि कम्पन करती है।
- इन्हें मुख्यतः दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है: बॉडी वेव और सतही तरंगें।
    - **बॉडी वेव**: ये तरंगें पृथ्वी के आंतरिक भाग से होकर गुजरती हैं। वे अधिक तेज़ होते हैं और भूकंप के दौरान सतही तरंगों से पहले पहुँचते हैं।
    - **सतही तरंगें** पृथ्वी की सतह पर चलती हैं और बॉडी वेव की तुलना में धीमी होती हैं, लेकिन अपने बड़े आयाम के कारण सबसे अधिक हानि पहुँचाती हैं।

बॉडी वेव के प्रकार

- **P-तरंगें (प्राथमिक तरंगें):** ये सबसे तेज़ भूकंपीय तरंगें हैं और सीस्मोग्राफ द्वारा दर्ज की जाने वाली प्रथम तरंगें हैं। वे संपीडनात्मक या अनुदैर्घ्य तरीके से चलते हैं।
    - P-तरंगें ठोस, तरल और गैसों के माध्यम से यात्रा कर सकती हैं।
- **S-तरंगें (द्वितीयक तरंगें):** ये अनुप्रस्थ स्वरूप में गमन करती हैं, जहाँ कण तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत गमन करते हैं।
    - S-तरंगें केवल ठोस पदार्थों के माध्यम से ही यात्रा कर सकती हैं, क्योंकि तरल पदार्थ और गैसें कर्तन तनाव का समर्थन नहीं करती हैं।

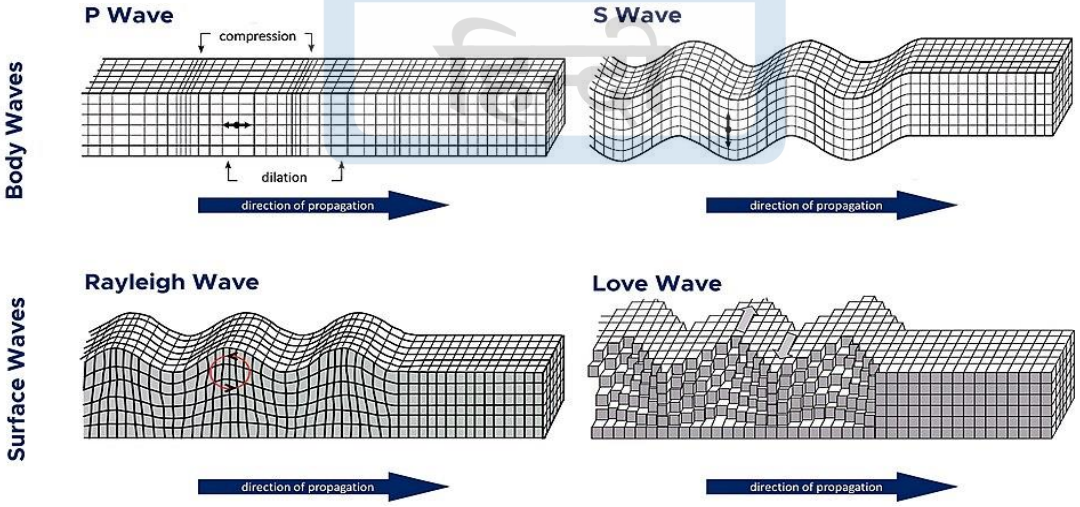

हिमालय में भूकंप का कारण

- लगभग 50 मिलियन वर्ष पूर्व, भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, जिसके परिणामस्वरूप चट्टानें मुड़ गईं और ऊपर उठ गईं, जिससे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ।
- दोनों प्लेटों के मध्य तनाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि भारतीय प्लेट अभी भी लगभग 60 मिमी/वर्ष की गति से आगे बढ़ रही है।
- भूकंप और कंपन तब उत्पन्न होते हैं हैं जब क्षेत्र में चट्टान की संरचनाएँ तनाव के अनुसार समायोजित होने के लिए थोड़ा सा स्थानांतरित होती हैं।

हिमालय में भूकंप का प्रभाव

- **टेक्टोनिक गतिविधि:** यह क्षेत्र भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के अभिसरण क्षेत्र पर स्थित है।
  - यह क्षेत्र निरंतर प्लेटों की गति के कारण भूकंपीय दृष्टि से सक्रिय रहता है, जिसके कारण यहां बार-बार भूकंप आते रहते हैं।
- **जलवैज्ञानिक महत्त्व:** विस्तृत हिमालयी क्षेत्र को ग्लेशियरों, झीलों और नदियों में संग्रहित जल के विशाल भंडार के कारण 'तीसरे ध्रुव' के रूप में जाना जाता है।
  - भूकंप से ग्लेशियर अस्थिर हो सकते हैं, नदियों के मार्ग बदल सकते हैं, बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है, जिससे हिमालय के जल स्रोतों पर निर्भर लाखों लोगों के लिए जोखिम उत्पन्न हो सकता है।
- **सामरिक और अवसंरचनात्मक महत्त्व:** ऐसे क्षेत्रों में भूकंप प्रमुख ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं को प्रभावित कर सकता है और सुरक्षा संबंधी चिंताएँ उत्पन्न कर सकता है।

भूकंप के प्रति भारत की संवेदनशीलता

- भारत भूकंप के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, तथा इसका 58.6% भूभाग मध्यम से लेकर बहुत उच्च तीव्रता वाले भूकंपों के प्रति संवेदनशील है।
- भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा निर्धारित भूकंपीय खतरे के स्तर के आधार पर भारत को चार भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है।
  - **भूकंपीय क्षेत्र II (न्यून भूकंपीय जोखिम):** यह क्षेत्र भूकंपीय दृष्टि से सबसे कम सक्रिय है, तथा इसमें भूकंप की तीव्रता कम होती है। इसमें दक्षिणी प्रायद्वीप के कुछ हिस्से, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ भाग सम्मिलित हैं।
  - **भूकंपीय क्षेत्र III (मध्यम भूकंपीय जोखिम):** इस क्षेत्र में मध्यम भूकंपीय गतिविधि होती है। इसमें दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ भाग शामिल हैं।
  - **भूकंपीय क्षेत्र IV (उच्च भूकंपीय जोखिम):** इस क्षेत्र में उच्च तीव्रता वाले भूकंपों की उच्च आवृत्ति होती है। भारत के उत्तरी एवं पूर्वोत्तर भाग के क्षेत्र, जिनमें जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्से, तथा असम, नागालैंड और मणिपुर के कुछ हिस्से शामिल हैं।
  - **भूकंपीय क्षेत्र V (अत्यंत उच्च भूकंपीय जोखिम):** यह क्षेत्र भूकंपीय दृष्टि से सर्वाधिक सक्रिय है, जहाँ निरंतर और तीव्र भूकंप आते रहते हैं। इसमें मुख्य रूप से हिमालयी क्षेत्र, पूर्वोत्तर राज्य और गुजरात शामिल हैं।

Source: TH

सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना

समाचार में

- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने हाल ही में एक राष्ट्रव्यापी कैशलेस उपचार पहल की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को आवश्यक सहायता प्रदान करना है।

पृष्ठभूमि

- यह योजना 14 मार्च, 2024 को प्रारंभ किए गए पायलट कार्यक्रम पर आधारित है, जिसे बाद में असम, पंजाब, हरियाणा और पुडुचेरी को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया है।

- इसका उद्देश्य वाहन दुर्घटना के पीड़ितों को, विशेष रूप से दुर्घटना के पश्चात् के महत्त्वपूर्ण "गोल्डन ऑवर (golden hour)" के दौरान, त्वरित चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए एक ढाँचा स्थापित करना था।

योजना की मुख्य विशेषताएँ

- **राष्ट्रव्यापी कवरेज:** यह योजना अब सभी सड़क दुर्घटना पीड़ितों पर लागू होती है, जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) के अंतर्गत अस्पतालों में आघात और बहु-आघात मामलों के लिए कैशलेस उपचार प्रदान करती है।
  - प्रत्येक दुर्घटना पर सात दिनों के लिए 1.5 लाख रुपये तक उपचार लागत कवर की जाती है।
- **कार्यान्वयन रूपरेखा:** राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) को सुव्यवस्थित कार्यान्वयन के लिए पुलिस, अस्पतालों और राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरणों के साथ सहयोग करना होगा।
  - निर्बाध पंजीकरण एवं दावा प्रसंस्करण सुनिश्चित करने के लिए ई-विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (eDAR) प्रणाली और NHA की लेनदेन प्रबंधन प्रणाली का उपयोग किया जाता है।
- **हिट-एंड-रन पीड़ितों के लिए सहायता:** हिट-एंड-रन दुर्घटनाओं में मारे गए लोगों के परिवारों को 2 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा।

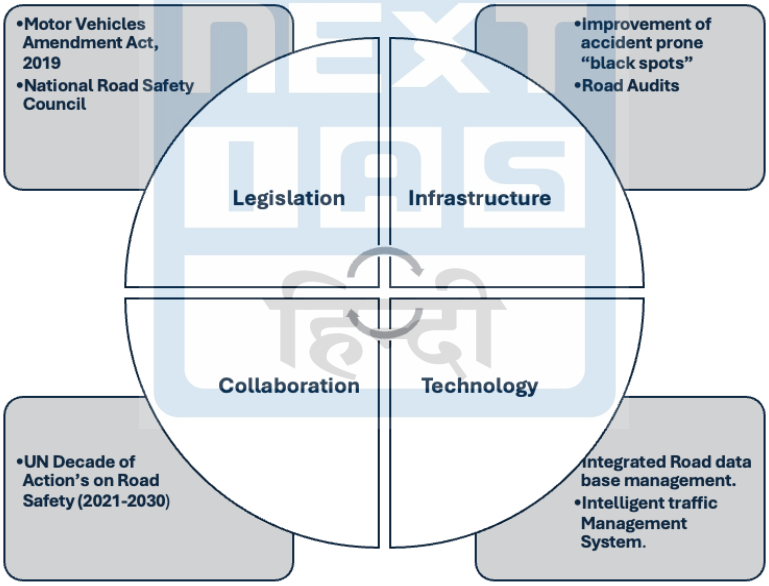

योजना की आवश्यकता/महत्त्व

- **सड़क दुर्घटनाएँ:** आँकड़े बताते हैं कि 2024 में 1.80 लाख मृत्यु होंगी, जिनमें हेलमेट न पहनने के कारण 30,000 मृत्यु और शैक्षणिक संस्थानों के पास बच्चों की 10,000 मृत्यु शामिल हैं।
- **व्यापक कवरेज:** इस योजना को सभी सड़क दुर्घटना पीड़ितों तक विस्तारित करने से समावेशिता सुनिश्चित होती है तथा जीवनरक्षक उपायों का दायरा बढ़ता है।
- **कुशल कार्यान्वयन:** प्रमुख हितधारकों एवं उन्नत IT प्रणालियों के बीच सहयोग से पहुँच में वृद्धि होती है और नौकरशाही संबंधी देरी कम होती है।
- **वित्तीय राहत:** हिट-एंड-रन दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्युओं के लिए मुआवजा तथा पीड़ितों और परिवारों पर वित्तीय भार को कम करने के लिए उपचार की लागत का कवरेज।

Source: DD News

ट्रांसजेंडर समुदाय में आरक्षण पर परिचर्चा

संदर्भ

- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) ने उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड के सदस्य, जो ऊर्ध्वाधर आरक्षण के प्रबल समर्थक हैं, के विरुद्ध अत्याचार की शिकायत का संज्ञान लिया है।

परिचय

- ऊर्ध्वाधर आरक्षण के अंतर्गत सभी ट्रांस लोग आरक्षण के लिए पात्र होंगे, चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक श्रेणी कुछ भी हो।
- देश भर में विभिन्न ट्रांसजेंडर कार्यकर्ताओं ने इस बात पर बल दिया है कि क्षैतिज आरक्षण समय की माँग है, क्योंकि ऊर्ध्वाधर कोटा हाशिए पर पड़ी जातियों के ट्रांसजेंडर लोगों के साथ होने वाले भेदभाव की स्तरित प्रकृति को नजरअंदाज करता है।

पहलू	क्षैतिज आरक्षण	ऊर्ध्वाधर आरक्षण
परिभाषा	किसी बड़ी श्रेणी के अंतर्गत किसी विशिष्ट समूह के लिए आरक्षण।	विशिष्ट श्रेणियों जैसे जाति, वर्ग आदि के लिए आरक्षण।
लक्षित समूह	किसी बड़ी श्रेणी के समूह या वर्ग के लाभार्थी (जैसे, अनुसूचित जाति के अंतर्गत विकलांग लोग)।	संपूर्ण श्रेणियाँ या कक्षाएँ
उदाहरण	अनुसूचित जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग समूह में महिलाओं के लिए आरक्षण।	सामान्यतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण।
महत्त्व	आरक्षित श्रेणी के अंदर उप-श्रेणियों को संबोधित करने के लिए उपयोग किया जाता है।	विशिष्ट जातियों को सीटों का एक निश्चित प्रतिशत आवंटित करने के लिए उपयोग किया जाता है।

उच्चतम न्यायालय का 2014 का निर्णय

- 2014 में उच्चतम न्यायालय ने सरकारों को सरकारी रोजगारों और शिक्षा में ट्रांसजेंडर लोगों को आरक्षण प्रदान करने का निर्देश दिया था।
  - तब से समुदाय की ओर से कोटा की माँग बढ़ती ही गई है।
- **अस्पष्टता:** उच्चतम न्यायालय के निर्देश में अस्पष्टता है, जिसमें ट्रांसजेंडर लोगों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े नागरिकों के रूप में माना जाना चाहिए।
  - ट्रांसजेंडर समुदाय में इस बात पर मतभेद है कि उन्हें किस प्रकार का आरक्षण दिया जाना चाहिए।
  - इससे यह प्रश्न भी उठता है कि सभी जाति श्रेणियों में ट्रांसजेंडर लोग उपस्थित हैं। उन्हें OBCs के रूप में वर्गीकृत करने से समानता का उद्देश्य कैसे पूरा होगा?

समलैंगिक समुदाय

- समलैंगिक समुदाय लोगों का एक समावेशी और विविधतापूर्ण समूह है, जो समलैंगिक, उभयलिंगी, ट्रांसजेंडर, क्वीर, क्वेश्चनिंग, इंटरसेक्स, अलैंगिक या किसी अन्य यौन अभिविन्यास, लिंग पहचान या अभिव्यक्ति के रूप में पहचान करते हैं, जो सामाजिक मानदंडों के बाहर है।

भारत में ट्रांसजेंडरों के कानूनी अधिकार

- **उच्चतम न्यायालय का NALSA निर्णय (2014):** राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम. भारत संघ (NALSA) मामला एक ऐतिहासिक निर्णय था, जिसमें भारत के उच्चतम न्यायालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी थी।
  - इस निर्णय ने उन्हें कानूनी मान्यता, मौलिक अधिकार और सम्मान के साथ जीने का संवैधानिक अधिकार प्रदान किया।
  - तीसरे लिंग के व्यक्तियों को "नागरिकों के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग" के रूप में मान्यता देना, जो शैक्षणिक संस्थानों एवं सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण के हकदार हैं।
- **ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019:** यह कानून भारत में ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए पारित किया गया था। इसमें निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं:
  - **स्व-पहचान:** ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को स्वयं अपने लिंग की पहचान करने का अधिकार है, और वे अपनी पसंद (पुरुष, महिला या ट्रांसजेंडर) के अनुसार अपने लिंग की पहचान को मान्यता देने वाले प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  - **भेदभाव का निषेध:** शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा और सार्वजनिक सेवाओं जैसे क्षेत्रों में ट्रांसजेंडर लोगों के प्रति भेदभाव अवैध है।
  - **राष्ट्रीय और राज्य ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्डों की स्थापना:** ये बोर्ड ट्रांसजेंडर लोगों से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए स्थापित किए गए हैं।
- **ट्रांसजेंडर विधेयक (2021):** यद्यपि 2019 अधिनियम ने एक आधारशिला रखी, लेकिन 2021 के संशोधनों को उनकी कानूनी मान्यता और कल्याण से संबंधित प्रावधानों को मजबूत करने के लिए प्रस्तावित किया गया था, लेकिन इस बात पर परिचर्चा जारी है कि क्या यह पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है या कुछ क्षेत्रों में कम पड़ता है।

चुनौतियाँ

- कानूनी सुरक्षा के बावजूद, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को व्यापक सामाजिक कलंक और भेदभाव का सामना करना पड़ता है।
- सार्वजनिक स्थानों पर हिंसा और उत्पीड़न।
- शिक्षा और रोजगार तक सीमित पहुँच।
- स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच और कानूनी मान्यता में चुनौतियाँ।
- आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार के कारण ट्रांसजेंडर लोगों को प्रायः भीख माँगने या यौन कार्य जैसी हाशिए की भूमिकाएँ निभाने के लिए बाध्य होना पड़ता है।

आगे की राह

- यद्यपि LGBTQ+ अधिकारों को आगे बढ़ाने और भेदभाव को कम करने में महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई है, फिर भी अभी भी विभिन्न चुनौतियों का समाधान किया जाना बाकी है।
- विश्व भर में LGBTQ+ समुदाय के लिए पूर्ण समानता और स्वीकृति सुनिश्चित करने के लिए निरंतर समर्थन, शिक्षा और नीति परिवर्तन आवश्यक है।

Source: TH

दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम 1954 की धारा 33 और 81

संदर्भ

- दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 33 और 81 को निरस्त करने की माँग उन आरोपों के पश्चात् पुनः उठी कि केंद्र सरकार अपना वचन पूरा करने में विफल रही।

दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954

- दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 को जमींदारी प्रथा को संशोधित करने और दिल्ली में किरायेदारी कानूनों को एकीकृत करने के लिए अधिनियमित किया गया था।
- इसने पंजाब काश्तकारी अधिनियम, 1887, आगरा काश्तकारी अधिनियम, 1901 और पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम, 1887 सहित विभिन्न अन्य अधिनियमों को दोहराया।
- इस अधिनियम ने भू-स्वामियों के दो वर्ग स्थापित किये: भूमिधर और असामी।
- जब किसी गांव को शहरी क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है, तो वह दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम द्वारा शासित नहीं होता है; यह दिल्ली नगरपालिका अधिनियम 1957 और दिल्ली विकास अधिनियम 1954 के अंतर्गत आता है।

दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम 1954 की धाराएँ 33 और 81

- धारा 33 कृषि भूमि की बिक्री, उपहार या हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है, यदि ऐसे लेनदेन के परिणामस्वरूप स्वामी के पास 8 एकड़ से कम भूमि हो।
  - इसका उद्देश्य कृषि जोतों के विखंडन को रोकना है ताकि कृषि के लिए आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित की जा सके।
  - **अपवाद:** स्थानान्तरण की अनुमति केवल धार्मिक या धर्मार्थ संस्थाओं और भूदान आंदोलन से जुड़े व्यक्तियों को ही दी जाएगी।
- धारा 81 के अनुसार यदि भूमि का उपयोग गैर-कृषि उद्देश्यों जैसे आवास या वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए किया जाता है तो भूमि मालिक को बेदखल किया जा सकता है।
  - ऐसे मामलों में भूमि ग्राम सभा के पास निहित होगी।
  - इस धारा के अंतर्गत अनुमत गतिविधियों में कृषि, बागवानी, पशुपालन, मछलीपालन और मुर्गीपालन शामिल हैं।

इन धाराओं पर विवाद क्यों है?

- **पुराने प्रावधान:** दिल्ली मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र से शहरी केंद्र में बदल गई है, जिससे ये कानून कम प्रासंगिक हो गए हैं।
- **शहरीकरण की आवश्यकताएँ:** प्रतिबंधों के कारण बुनियादी ढाँचे के विकास और आवास विस्तार में देरी होती है।
- **नौकरशाही बाधाएँ:** अनुमति प्राप्त करने की जटिल प्रक्रियाएँ भ्रष्टाचार को उत्पन्न कर सकती हैं।

आगे की राह

- धारा 81 में संशोधन करके कृषि भूमि का स्वामित्व ग्राम सभा को हस्तांतरित करने के बजाय उसके दुरुपयोग पर आर्थिक दंड लगाया जाएगा।
- छोटी जोत वाले किसानों को वैकल्पिक आजीविका के अवसर और सहायता प्रदान करने से शोषण को रोकने के साथ-साथ बेहतर आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है।

- एक संतुलित दृष्टिकोण पर विचार किया जाना चाहिए जो कृषि व्यवहार्यता को संरक्षित रखते हुए नियंत्रित विकास की अनुमति देता है ताकि ग्रामीण समुदायों और शहरी विस्तार की जरूरतों दोनों को लाभ मिल सके।

Source: IE

भारत और तालिबान के मध्य पहली शीर्ष स्तरीय वार्ता

संदर्भ

- यह बैठक दुबई में हुई, जो 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान के नियंत्रण के बाद से भारत और तालिबान के मध्य उच्चतम स्तर की वार्ता को चिह्नित करती है।
    - भारत ने तालिबान प्रशासन को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी है, लेकिन वह मानवीय सहायता के साथ-साथ व्यापार, सहायता और चिकित्सा सहायता के लिए काबुल में एक छोटा मिशन बनाए हुए है।

हाल की बैठक के मुख्य परिणाम

- भारत ने अफगानिस्तान को दी जा रही मानवीय सहायता पर चर्चा की, जिसमें अफगान शरणार्थियों के लिए सहायता और भूकंप राहत शामिल है।
    - भारत पहले ही गेहूँ, दवाइयाँ, कीटनाशक, टीके, कपड़े और अन्य सामग्री उपलब्ध करा चुका है।
    - अतिरिक्त सहायता अफगानिस्तान के स्वास्थ्य क्षेत्र और शरणार्थी पुनर्वास के लिए दी जाएगी।
- तालिबान का लक्ष्य अपनी संतुलित, अर्थव्यवस्था-केंद्रित विदेश नीति के अनुरूप भारत के साथ राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करना है।
- अफगानिस्तान तक पहुँचने और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ईरान के चाबहार बंदरगाह के उपयोग पर भी चर्चा हुई।
- उन्होंने क्रिकेट संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि भारत ने नोएडा में प्रशिक्षण सहित अफगान क्रिकेटरों की सहायता की है।
- भारत ने अफगानिस्तान से संचालित भारत विरोधी आतंकवादी समूहों के बारे में चिंता व्यक्त की।

तालिबान के साथ भारत की भागीदारी को प्रेरित करने वाले कारक

- **भू-राजनीतिक विचार:** चीन के बढ़ते प्रभाव सहित क्षेत्र में उभरते भू-राजनीतिक परिदृश्य ने भी अफगानिस्तान के प्रति भारत के दृष्टिकोण को प्रभावित किया है। तालिबान के साथ बातचीत को क्षेत्र में अपने रणनीतिक हितों को बनाए रखने के एक तरीके के रूप में देखा जा रहा है।
- **आतंकवाद का मुकाबला:** भारत इस बात को लेकर चिंतित है कि आतंकवादी समूह, विशेष रूप से भारत को निशाना बनाने वाले आतंकवादी समूह, अफगानिस्तान को अपने अभियानों के लिए आधार के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तालिबान के साथ बातचीत को इन सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के एक तरीके के रूप में देखा जा रहा है।
- **पाकिस्तान के प्रभाव का प्रतिकार:** पाकिस्तान ने ऐतिहासिक रूप से अफगानिस्तान में काफी प्रभाव डाला है, जिसे प्रायः भारत के हितों के लिए हानिकारक माना जाता है। तालिबान के साथ संपर्क स्थापित करने से भारत को वहां अपनी उपस्थिति बनाए रखने तथा पाकिस्तान के प्रभाव को संतुलित करने में सहायता मिलेगी।
- **भारतीय निवेश की सुरक्षा:** भारत ने अफगानिस्तान में बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में भारी निवेश किया है। इन निवेशों को बनाए रखना तथा उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना भारत के लिए महत्त्वपूर्ण है।
    - तालिबान ने भारत को अपनी सुविधाओं के लिए सुरक्षा की गारंटी का आश्वासन दिया है।

अन्य देशों का दृष्टिकोण

- रूस ने मुख्य रूप से क्षेत्रीय आतंकवाद के खतरे का मुकाबला करने के लिए तालिबान के साथ बातचीत प्रारंभ कर दी है। इसमें ISIS-K जैसे चरमपंथी समूहों के प्रसार पर चिंताओं का समाधान करना शामिल है, जो मध्य एशिया को अस्थिर कर सकते हैं और रूसी हितों के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं।
- चीन ने अफगानिस्तान में अपना प्रभाव बढ़ाया है, प्राकृतिक संसाधनों पर नजर रखी है तथा तालिबान के नेतृत्व वाली विकास परियोजनाओं का समर्थन किया है।
- ईरान, जो कभी तालिबान का आलोचक था, अब अन्य क्षेत्रीय चिंताओं में उलझ गया है तथा शासन के प्रति अधिक तटस्थ हो गया है।
- तालिबान के साथ पाकिस्तान के कभी करीबी रहे सम्बन्ध ख़राब हो गए हैं, विशेषकर अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में पाकिस्तानी हवाई हमलों के बाद। इससे तनाव उत्पन्न हो गया है, तालिबान ने इन कार्रवाइयों की निंदा की है, तथा भारत ने भी अफगान क्षेत्र में पाकिस्तान के सैन्य अभियानों की आलोचना में अपना समर्थन दिया है।

मुद्दे और चिंताएँ

- आधिकारिक बयान में सुरक्षा के बारे में चिंताओं पर कोई टिप्पणी नहीं की गई।
  - महिला अधिकार,
  - अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना, या तालिबान सरकार में उनका शामिल होना।
- **पाकिस्तान की प्रतिक्रिया:** भारत के साथ ऐतिहासिक तनाव तथा अफगानिस्तान के साथ तनावपूर्ण संबंधों को देखते हुए यह बैठक पाकिस्तान को नाराज कर सकती है।
  - पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर पाकिस्तान में हमलों के लिए जिम्मेदार आतंकवादी समूहों को पनाह देने का आरोप लगाया है, हालांकि तालिबान ने इस आरोप से मना किया है

भविष्य का दृष्टिकोण

- तालिबान के साथ भारत के भावी संबंध अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण, विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढाँचे में भागीदारी के साथ सुरक्षा चिंताओं को संतुलित करने पर केंद्रित होंगे।
- दोनों पक्षों ने विभिन्न स्तरों पर नियमित संपर्क बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की, ताकि भविष्य में राजनीतिक स्तर पर संपर्क के लिए द्वार खुले रहें।

Source:TH

बाँध सुरक्षा अधिनियम 2021

संदर्भ

- उच्चतम न्यायालय ने मुल्लापेरियार बाँध सुरक्षा पर केंद्र से जवाब माँगा और बाँध सुरक्षा अधिनियम 2021 के तहत विशेषज्ञ समिति के गठन में देरी पर प्रश्न उठाया।
  - मुल्लापेरियार बाँध केरल में पेरियार नदी पर बनाया गया है। यह 130 वर्ष पुराना बाँध है।
  - केरल में मुल्लापेरियार बाँध के नीचे रहने वाले लोगों ने बाँध की सुरक्षा पर प्रश्न उठाया है।

बाँध सुरक्षा अधिनियम (DSA) 2021

- **उद्देश्य:** बाँध टूटने से संबंधित आपदाओं को रोकना तथा उनका सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत तंत्र प्रदान करना।

- **राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा समिति:** इसका गठन बाँध विफलता से संबंधित आपदाओं को रोकने, बाँध सुरक्षा के मानकों को बनाए रखने, बाँध सुरक्षा नीतियाँ विकसित करने और आवश्यक नियमों की सिफारिश करने के लिए किया गया है।
- **राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा प्राधिकरण:** इसकी स्थापना बाँध सुरक्षा नीतियों और मानकों के राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक नियामक निकाय के रूप में की गई है।
    - इसके कार्यों में राष्ट्रीय समिति की नीतियों को लागू करना, तथा राज्य बाँध सुरक्षा संगठनों (SDSOs) के बीच, या SDSO और उस राज्य के किसी बाँध मालिक के मध्य मामलों को सुलझाना शामिल है।
    - केंद्र सरकार राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा प्राधिकरण के अधिकारियों की योग्यताएँ और कार्यों को अधिसूचित कर सकती है।
- **राज्य स्तर पर:** अधिनियम में राज्य बाँध सुरक्षा समिति (SCDS) के गठन और राज्य बाँध सुरक्षा संगठन (SDSO) की स्थापना का प्रावधान है।
    - विनिर्दिष्ट बाँध वाले सभी 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों ने SCDSs/SDSOs का गठन/स्थापना कर दी है।
- **बाँध सुरक्षा इकाई:** बाँध मालिकों को अब एक समर्पित बाँध सुरक्षा इकाई रखने, आपातकालीन कार्य योजना तैयार करने और नियमित अंतराल पर व्यापक सुरक्षा मूल्यांकन करने की आवश्यकता है।
    - केंद्रीय जल आयोग (CWC) के अध्यक्ष राष्ट्रीय स्तर पर बाँध सुरक्षा प्रोटोकॉल का नेतृत्व करेंगे।
- **दंड:** अधिनियम के अंतर्गत अपराध करने पर दो वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

भारत में बाँध

- भारत में 4,407 बड़े बाँध हैं, जो चीन और अमेरिका के बाद विश्व में तीसरी सबसे बड़ी संख्या है।
- महाराष्ट्र में सबसे अधिक संख्या में बड़े बाँध हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश और गुजरात का स्थान है।

भारत में बाँध विफलताएँ

- पहली विफलता मध्य प्रदेश में 1917 में दर्ज की गई थी जब तिगरा बाँध अधिक जल भराव के कारण विफल हो गया था।
- सबसे भयंकर बाँध आपदा 1979 में माचू बाँध (गुजरात) की विफलता थी जिसमें लगभग 2000 लोग मारे गये थे।
- अब तक विफलता के 40 मामले सामने आ चुके हैं।

भारत में बाँध विफलताओं के कारण

- **खराब निगरानी और रखरखाव:** विभिन्न बाँध अपर्याप्त या अनियमित रखरखाव से ग्रस्त हैं, जिसके कारण समय के साथ संरचनात्मक कमजोरियाँ, दरारें और गिरावट आती है।
- **डिजाइन संबंधी खामियाँ:** कुछ बाँधों को पुराने या गलत विनिर्देशों के साथ डिजाइन किया गया था, जो वर्तमान पर्यावरणीय या परिचालन स्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं थे।
- **प्राकृतिक आपदाएँ:** भूकंप, बाढ़ और भारी वर्षा से बाँधों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, जिससे संरचनात्मक क्षति होती है या यहां तक कि बाँध टूट भी जाते हैं।
- **ओवर-टॉपिंग:** जब अत्यधिक वर्षा या बर्फ पिघलने के कारण बाँध का जलाशय अपनी भंडारण क्षमता से अधिक हो जाता है, तो जल फैल जाता है, जिससे कटाव या दरार हो जाती है।
- **अवसादन:** जलाशयों में गाद एवं तलछट के जमा होने से भंडारण क्षमता कम हो जाती है और बाँध पर दबाव बढ़ जाता है, जिससे संरचनात्मक विफलता होती है।

भारत में बाँध सुरक्षा एक प्राथमिकता वाली चिंता क्यों है?

- **बाँधों की आयु में वृद्धि:** बाँधों की संख्या में वृद्धि के साथ ही भारत में बाँधों के टूटने की संभावना भी बढ़ती जा रही है। भारत में 227 बड़े बाँध हैं जो 100 वर्ष से अधिक पुराने हैं।
- **संरचनात्मक कमियाँ:** कई बाँधों में संरचनात्मक कमियाँ और संचालन एवं निगरानी सुविधाओं में कमियाँ हैं, जबकि कुछ बाँध संरचनात्मक तथा जल विज्ञान दोनों दृष्टि से वर्तमान डिजाइन मानक को पूरा नहीं करते हैं।
- **संस्थागत और तकनीकी क्षमताओं का अभाव:** अधिकांश राज्य बाँधों के रखरखाव और मरम्मत के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध कराने में विफल रहे हैं।
    - विभिन्न राज्यों में बाँध सुरक्षा मुद्दों से निपटने के लिए संस्थागत और तकनीकी क्षमताओं का भी अभाव है।
- मानव जीवन और सम्पत्ति के लिए जोखिम।

आवश्यक कदम

- बाँधों को खतरे के आधार पर वर्गीकृत करने की आवश्यकता है।
- सुरक्षा मार्जिन का पालन करने वाले बाँधों का डिजाइन और निर्माण करना,
- नियमित निरीक्षण करना,
- आपातकालीन कार्य योजनाएँ बनाना,
- आपातकालीन बाढ़ चेतावनी प्रणालियाँ स्थापित करना, तथा सुरक्षा समीक्षा और आवधिक जोखिम मूल्यांकन अध्ययन करना।

Source: TH

संक्षिप्त समाचार

सोपस्टोन खनन (Soapstone Mining)

संदर्भ

- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बागेश्वर जिले में अवैध खनन गतिविधियों के कारण मकानों और पहाड़ियों में दरारें आने के बाद तत्काल खनन कार्य रोकने का आदेश दिया है।

सोपस्टोन क्या है?

- सोपस्टोन एक रूपांतरित चट्टान है जो मुख्य रूप से टैल्क (एक प्राकृतिक खनिज) से बनी होती है। इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है;
    - निर्माण और आंतरिक डिजाइन (जैसे, काउंटरटॉप्स, सिंक, चूल्हे, मूर्तियाँ)।
    - इसकी कोमलता एवं ऊष्मा प्रतिरोधिता के कारण इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन और फार्मास्यूटिकल्स जैसे औद्योगिक अनुप्रयोगों में किया जाता है।
- भारतीय खान ब्यूरो के अनुसार, भारत में राजस्थान (57%) और उत्तराखंड (25%) राज्यों में सोपस्टोन के पर्याप्त भंडार हैं।

भारत में विनियमन और शासन

- खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 खनन गतिविधियों को नियंत्रित करता है।
- राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019 सतत खनन प्रथाओं पर बल देती है।

Source: IE

मराठी भाषा को आधिकारिक तौर पर शास्त्रीय दर्जा दिया गया

संदर्भ

- मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के कुछ माह पश्चात्, केंद्र सरकार ने इस संबंध में एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की।
    - हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया एवं बंगाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है, जिससे शास्त्रीय भाषाओं की संख्या बढ़कर ग्यारह हो गई है।

शास्त्रीय भाषाएँ

- **भारत में छह शास्त्रीय भाषाएँ थीं -** तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया।
    - तमिल को **2004** में, संस्कृत को **2005** में, कन्नड़ को **2008** में, तेलुगु को **2008** में, मलयालम को **2013** में तथा ओडिया को **2014** में शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया।
    - सभी शास्त्रीय भाषाएँ **संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध** हैं।
- **मापदंड:** इसके प्रारंभिक ग्रंथों/अभिलेखित इतिहास की प्राचीनता 1,500-2,000 वर्ष की होनी चाहिए,
    - प्राचीन साहित्य या ग्रंथों का एक समूह जिसे बोलने वालों की पीढ़ियों द्वारा एक मूल्यवान विरासत माना जाता है,
    - "ज्ञान ग्रंथो (knowledge texts)" की उपस्थिति, विशेष रूप से कविता, पुरालेखीय एवं शिलालेखीय साक्ष्य के अतिरिक्त गद्य ग्रंथों की उपस्थिति,
    - उक्त भाषा एवं साहित्य अपने आधुनिक प्रारूप से अलग होना चाहिए।
- **लाभ :** शिक्षा मंत्रालय इसे बढ़ावा देने के लिए कुछ लाभ प्रदान करता है जैसे:
    - उक्त भाषाओं के प्रतिष्ठित विद्वानों के लिए दो प्रमुख वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार,
    - शास्त्रीय भाषा में अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना,
    - तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरोध है कि वह कम से कम केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शास्त्रीय भाषा के लिए निश्चित संख्या में पीठों की स्थापना प्रारंभ करे।

Source: IE

भारत की पुनर्गणना की गई तटरेखा 53 वर्षों में 48% बढ़ी (India's Recalculated Coastline up 48% in 53 Years)

संदर्भ

- भारत की तटरेखा मात्र पाँच दशकों में लगभग आधी हो गई है - **1970 में 7,516 किमी. से बढ़कर 2023-24 में 11,098 किमी.** हो गई।

परिचय

- **प्रमुख परिवर्तन:**
    - **बंगाल, गुजरात और गोवा** जैसे राज्यों में तटरेखा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जबकि **पुडुचेरी में 10.4% की कमी** आई।
    - **गुजरात** की पुनर्गणना की गई तटरेखा 1970 में 1,214 किमी से बढ़कर पिछले 53 वर्षों में लगभग दोगुनी होकर 2,340 किमी. हो गई है।
    - इस अवधि के दौरान प्रतिशत के दृष्टि से **बंगाल में सबसे अधिक वृद्धि हुई** - 157 किमी से 721 किमी. तक 357% की वृद्धि।
    - राष्ट्रीय स्तर पर, 1970 के आँकड़ों की तुलना में समुद्र तट की वृद्धि **47.6%** है।

- नये सर्वेक्षण के अनुसार **गुजरात ने सबसे लम्बी तटरेखा** वाले राज्य के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है, जबकि तमिलनाडु ने आंध्र प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है।

- **वृद्धि का कारण:** इसका मुख्य कारण भारत के समुद्री पैरामीटर को मापने के लिए एक नई पद्धति का उपयोग करना है।
  - पुरानी विधियाँ सीधी रेखा दूरी माप पर निर्भर थीं।
  - वैज्ञानिक रूप से अद्यतन दृष्टिकोण **राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक** द्वारा विकसित किया गया है।
  - इसमें खाड़ी, मुहाना, इनलेट एवं अन्य भू-आकृति विज्ञान संबंधी विशेषताओं जैसे जटिल तटीय संरचनाओं का मापन सम्मिलित है।

Source: TOI

भाषिणी परियोजना

समाचार में

- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की भाषानी परियोजना का उपयोग ई-श्रम पोर्टल को 22 भाषाओं के साथ अपग्रेड करने के लिए किया गया है।

भाषिणी परियोजना

- इसे 2022 में लॉन्च किया गया था। यह व्यापक राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन (NLTM) का भाग है।
- इसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं में इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं तक आसान पहुँच को सक्षम करना है, जिसमें ध्वनि-आधारित पहुँच भी शामिल है, तथा भारतीय भाषाओं में सामग्री बनाने में सहायता करना है।

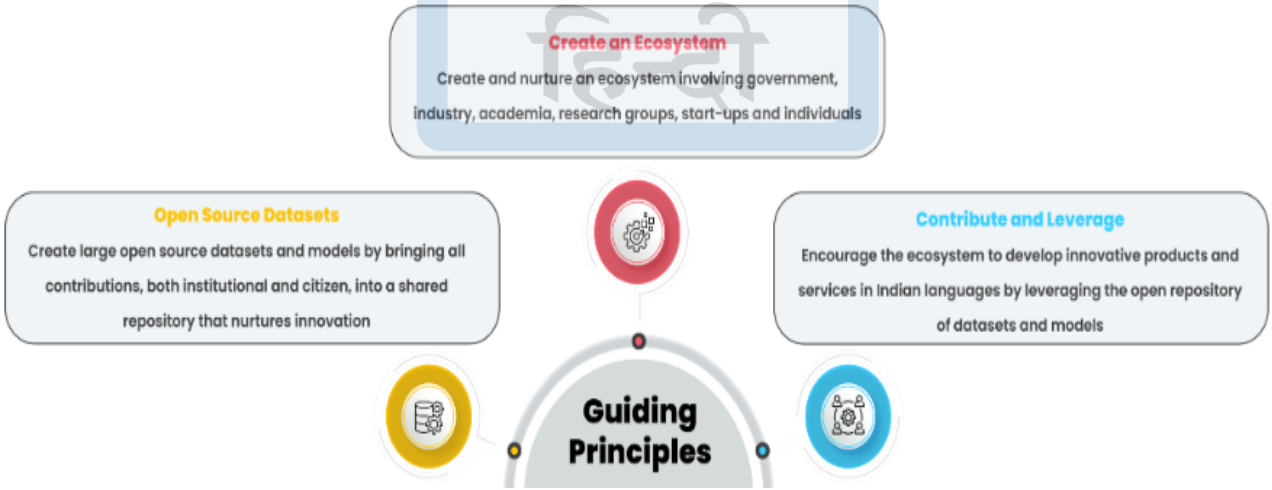

महत्त्व

- यह भारतीय नागरिकों को उनकी अपनी भाषा में डिजिटल पहलों से जोड़कर उन्हें सशक्त बनाता है तथा डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देता है।
- इससे इंटरनेट पर भारतीय भाषाओं में सामग्री बढ़ेगी, विशेषकर शासन, नीति और विज्ञान में।
- यह नागरिकों को क्राउड-सोर्सिंग प्लेटफॉर्म, भाषा दान के माध्यम से आसानी से योगदान करने में सक्षम बनाकर आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है

Source: BS

रोजगारों का भविष्य रिपोर्ट 2025(Future of Jobs Report 2025)

समाचार में

- विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा भविष्य की रोजगारों की रिपोर्ट 2025 जारी की गई है।

मुख्य विशेषताएँ

- **रोजगार में व्यवधान और सृजन:** 2030 तक 22% रोजगारों में व्यवधान आने की आशंका है। प्रौद्योगिकीय प्रगति और अन्य कारकों के कारण 170 मिलियन नए रोजगार सृजित होंगे।
- **तीव्रता से बढते रोजगार:** नियोक्ता कार्यबल के आकार को कम करने और कर्मचारियों को कौशल प्रदान करने के लिए तेजी से स्वचालन और AI की ओर देख रहे हैं।
    - AI और बिग डेटा कौशल में 87% की वृद्धि होगी, इसके बाद साइबर सुरक्षा (70%) का स्थान होगा।
- **तीव्रता से घटने वाले रोजगार:** डाक सेवा क्लर्क, बैंक टेलर, डाटा एंट्री क्लर्क, कैशियर और टेलीमार्केटर्स जैसी भूमिकाओं में सबसे अधिक गिरावट आने की संभावना है।
- **भारत-विशिष्ट अंतर्दृष्टि:** डिजिटल पहुँच, भू-राजनीतिक तनाव एवं जलवायु परिवर्तन के प्रयास भारत में रोजगार के प्रवृत्ति को संचालित करेंगे।
    - AI, रोबोटिक्स, स्वायत्त प्रणालियों एवं ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में महत्त्वपूर्ण निवेश किया जा रहा है।

विश्व आर्थिक मंच (WEF) का परिचय

- विश्व आर्थिक मंच (WEF) सार्वजनिक-निजी सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।
- इसकी स्थापना 1971 में प्रोफेसर क्लॉस श्वाब ने की थी एवं इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के दावोस में है।
- WEF विश्व की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करने एवं उनका समाधान करने के लिए व्यापार, सरकार, शिक्षा और नागरिक समाज के नेताओं को एक साथ लाता है।

Source: IE

एण्ड्रोजन सिग्नलिंग (Androgen Signalling)

संदर्भ

- एक अध्ययन के अनुसार, एण्ड्रोजन सिग्नलिंग दोनों लिंगों के विकास, प्रजनन क्षमता, शरीरक्रिया विज्ञान एवं उपस्थिति के साथ-साथ पुरुषों में लिंग-विशिष्ट क्रॉविंग (crowing) व्यवहार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

परिचय

- **एण्ड्रोजन सेक्स हार्मोन** पुरुष यौन विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं जबकि एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन महिलाओं में समान भूमिका निभाते हैं।
- अध्ययन में पाया गया कि एण्ड्रोजन रिसेप्टर्स महिलाओं में यौन विकास एवं प्रजनन क्षमता के लिए पुरुषों की तरह ही महत्त्वपूर्ण हैं।

एण्ड्रोजन सिग्नलिंग

- एंड्रोजन सिग्नलिंग उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा **एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन** और इसके डेरिवेटिव सहित पुरुष सेक्स हार्मोन का एक समूह, कोशिकाओं एवं ऊतकों पर अपना प्रभाव डालता है।

- **एंड्रोजन रिसेप्टर्स की सक्रियता विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं को प्रभावित करती है, जैसे:**
  - **पुरुष द्वितीयक लैंगिक विशेषताओं का विकास:** इनमें चेहरे पर बाल, गहरी आवाज एवं मांसपेशियाँ सम्मिलित हैं।
  - **एनाबोलिक प्रभाव:** वे प्रोटीन संश्लेषण एवं मांसपेशियों की वृद्धि को बढ़ावा देते हैं, शारीरिक शक्ति और शरीर संरचना में योगदान करते हैं।
  - **प्रजनन स्वास्थ्य:** एण्ड्रोजन शुक्राणु उत्पादन एवं पुरुष प्रजनन स्वास्थ्य के अन्य पहलुओं में भूमिका निभाते हैं।
  - **तंत्रिका विकास और व्यवहार:** एण्ड्रोजन सिग्नलिंग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करता है, जो मूड, अनुभूति एवं व्यवहार को प्रभावित करता है।

Source: TH

मियावाकी तकनीक (Miyawaki Technique)

संदर्भ

- प्रयागराज नगर निगम ने बंजर क्षेत्रों को हरे-भरे वन में बदलने के लिए मियावाकी तकनीक का उपयोग किया है।

मियावाकी तकनीक

- **उत्पत्ति:** मियावाकी तकनीक, जिसे प्रायः 'पॉट प्लांटेशन विधि' के रूप में जाना जाता है, 1970 के दशक में प्रसिद्ध जापानी वनस्पतिशास्त्री **अकीरा मियावाकी** द्वारा विकसित की गई थी।
  - यह छोटे शहरी स्थानों में घने जंगल बनाने की एक क्रांतिकारी विधि है।
- **सिद्धांत:** इसमें पेड़ों एवं झाड़ियों को एक-दूसरे के करीब लगाना सम्मिलित है ताकि उनकी वृद्धि में तेज़ी आए।
  - इस तकनीक से पौधे 10 गुना तेज़ी से बढ़ते हैं, जिससे यह शहरी क्षेत्रों के लिए एक व्यावहारिक समाधान बन जाता है।
- **महत्त्व:** शहरी क्षेत्रों में, इस पद्धति से बंजर, प्रदूषित भूमि को सफलतापूर्वक हरित पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तित करने, साथ ही औद्योगिक कचरे का प्रबंधन करने एवं प्रदूषण पर अंकुश लगाने में सफलता मिली है।

Source: PIB

फ्लेमिंगो महोत्सव 2025

समाचार में

- फ्लेमिंगो महोत्सव, **पुलिकट झील एवं नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य** में प्रवासी पक्षियों, विशेषकर फ्लेमिंगो के आगमन का जश्न मनाया जायेगा , जो आंध्र प्रदेश में स्थित दोनों महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिक स्थल हैं।

महोत्सव का परिचय

- यह पुलिकट झील एवं नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य में आने वाले प्रवासी पक्षियों को समर्पित एक वार्षिक कार्यक्रम है, जिसमें फ्लेमिंगो पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
- **गतिविधियाँ और आकर्षण:**
  - प्रवासी प्रजातियों को देखने के लिए पक्षी-दर्शन पर्यटन।

- स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पर्यावरण-अनुकूल जैव विविधता सत्र।
- BV PALEM (बी.वी पालेम) में नौका विहार गतिविधियाँ आगंतुकों को पुलिकट झील का नज़दीक से नज़ारा प्रदर्शित करती हैं।

फ्लेमिंगो का परिचय

- फ्लेमिंगो सामाजिक प्राणी हैं जो अलग-अलग आकार के बड़े समूहों में रहते हैं, कभी-कभी हजारों की संख्या में एकत्र होते हैं।
- **निवास स्थान:** फ्लेमिंगो विभिन्न प्रकार के निवास स्थानों जैसे लैगून, नदी के मुहाने, तटीय एवं अंतर्देशीय झीलों और कीचड़युक्त भूमि में रहते हैं।

- **प्रकार:** छह फ्लेमिंगो प्रजातियाँ एवं उनकी IUCN रेड लिस्ट स्थिति इस प्रकार है:
  - ग्रेटर फ्लेमिंगो, - कम चिंताजनक (Least Concern)
  - चिली फ्लेमिंगो, - खतरे के निकट (Near Threatened)
  - अमेरिकी फ्लेमिंगो - कम चिंताजनक(Least Concern)
  - लेसर फ्लेमिंगो - खतरे के निकट (Near Threatened)
  - एंडियन फ्लेमिंगो - सुभेद्य (Vulnerable)
  - जेम्स फ्लेमिंगो (पुना फ्लेमिंगो) - सुभेद्य (Vulnerable)
- **भारत में स्थिति:** ग्रेटर फ्लेमिंगो सामान्यतः इजरायल, अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान से भारत में प्रवास करते हैं। ग्रेटर फ्लेमिंगो गुजरात का राज्य पक्षी है।
  - **लेसर फ्लेमिंगो साइबेरिया** से गुजरात के कच्छ के रण के माध्यम से मुंबई तक प्रवास करते हैं।

पुलिकट झील का परिचय

- पुलिकट झील ओडिशा की चिल्का झील के पश्चात् भारत की दूसरी सबसे बड़ी लवणीय जल की झील है। यह प्रवासी पक्षियों को सहारा देने और क्षेत्रीय जैव विविधता को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- पुलिकट झील आंध्र प्रदेश-तमिलनाडु सीमा पर फैली हुई है, तथा इसका 96% क्षेत्र आंध्र प्रदेश में स्थित है।
- यह झील प्रवासी पक्षियों के लिए प्रमुख भोजन एवं प्रजनन स्थल के रूप में कार्य करती है, जिनमें फ्लेमिंगो, पेलिकन और विभिन्न अन्य प्रजातियाँ शामिल हैं।

नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य का परिचय

- नेलापट्टू दक्षिण-पूर्व एशिया में स्पॉट-बिल्ड पेलिकन (पेलिकनस फिलिपेंसिस) के लिए सबसे बड़ा प्रजनन स्थल है। यह इस क्षेत्र के सबसे महत्त्वपूर्ण पक्षी अभयारण्यों में से एक है।
- पुलिकट झील से लगभग 20 किमी. उत्तर में स्थित यह मंदिर आंध्र प्रदेश-तमिलनाडु सीमा पर भी स्थित है।

Source:TH

■■■■